83

## Letters of intent for manufacture of potable alcohol

976. DR. YELAMANCHILI (SIVAJI: Will the Minister of FOOD PROCESSING INDUSTRIES be pleased to refer to the answer to Starred Question 322 given in the Rajya Sabha on the 24th May, 1990 and state what are the details of letters of intent issued in 1989-90 for the manufacture of potable alcohol, such as IMFL?

THE MINISTER OF TEXTILES WITH ADDITIONAL CHARGE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI SHARAD YADAV): The details of Letters of Intent issued for the manufacture of potable alcohol based on nonmolasses raw materials are given in the attached annexure. [See Appendix CLV, Annexure No. 27]

3500/- रुपये प्रतिमाह से म्रधिक वतन पाने वाले कर्मचारियों के संबंध में महिगाई भरते की किस्त का भविष्य निधि खाते में जमा किया जाना

977. श्री ग्रनन्त राम जायसवाल: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करगे

- (क) क्या वह सच है कि सरकारी कमेंचारियों को महंगाई भत्ते की किस्त का भुगतान प्रत्येक वर्ष पहली जनवरी ीर पहली जुलाई को करने का प्रावधान €;
- (ख) यदि हां, तो 1 जुलाई, 1990 के बाद से प्रतिमाह 3500/- रुपये धीर उससे अधिक मूल वेतन पाने वाले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की किस्त का नकद भुगतान न करके इस राशि को उनके भविष्य निधि खाते में जमा किये जाने का निर्णय लिये जाने के क्या कारण हैं :
- (ग) विभिन्न मदों की कटौती के बाद 3500/- रुपये मुल वेतन पाने वाला कर्मचारी प्रतिमाह ग्रीसतन जितनी राशि घर ले जा पाता है उसके बारे में सरकार का क्या आकलन है; और

(घ) जुलाई, 1990 के महीने में ब्रावस्थक वस्तुक्यों के खदरा मृत्यों के स्तर को ध्यान में रखते हुये एक श्रीसत परिवार के भौसत मासिक खर्च के बारे सरकार का क्या आकलन है तया क्या ऐसी ग्रावश्यक मदों पर खर्च की यह राशि उस राशि से अधिक गई है जो 3500/- रुपये प्रतिमाह वेतन पाने वाला कर्मचारी अपने मुल जाता है, यदि हां, तो क्या सरकार उन्हें महंगाई भत्ते की किस्त का नकद भुगतान करने पर विचार करेगी?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ग्रानिल शास्त्री):(क) ग्रीर (ख) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते अतिरिक्त किस्त प्रत्येक दर्ष 1 1 जुलाई से देय होती त्तया है । सरकार ने निर्णय लिक्षा है कि रु. से श्रधिक वेतन पाने 3500/-वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मवारियों को 1 जलाई, 1990 से आगे देय होते वाली अतिरिक्त महंगाई भत्ते की राशि का नकद भगतान नहीं किया जायेग अभिय इसके बजाय इसे अनेक अभी अपने भदिष्य निधि खाते में जमा कर दिया जायेगा, क्योंकि कम वेतनभोगी कर्मचारियों की तुलना में उनके कम प्रभातित होने की संभावना है।

- (ग) यह अनुमा लगाना संभव नहीं किसी वेतन वर्ग में सरकारी कर्मचारी की घर ले जाने की श्रीसत वेतन राशि कितनी है क्योंकि यह रज्जशि प्रत्येक कर्मवारी की अलग-अलग हो 🖳 है जो कि उनके सामान्य **म**िष्ट्र नि ग्रंगदान तथा उनके द्वारा लिये गर्य अग्रिमों।ऋणों आदि की वसुली पर निर्भर करता है।
- (घ) यह अनुमान लगाना संभव नहीं है कि एक औसत परिवार का प्रतिमाह कितना ग्रांसतन व्यय है क्योंकि यह व्यय एक परिवार का दूसरे परिवार से भिन्न होता है जो कि परिवार के आकार उनके खान-पान तथा रहन-सहन ग्राप्ति की क्षापतों पर निर्भर करता है।